

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: /पू.वि.वि./सम्बद्धता/2017
दिनांक:

2605

7-9-17

सेवा में,

प्रबन्धक,
बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल
लाडनपुर, कोपागंज, मऊ।

विषय : बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल लाडनपुर, कोपागंज, मऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर औषधि संकाय में बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-5(4) को विलोपित किये जाने के फलस्वरूप मूल अधिनियम की धारा- 5(1) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों/मेडिकल कालेजों की सम्बद्धता का अधिकार सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अन्तर्गत निहित हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के अधिनियम 1973 में, संशोधन दिनांक-24.10.2013 होने के पूर्व, आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध थे। अतएव अनु सचिव आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या/F.No.R.12011/25/2015-EP(IM-1) DATE. 10-11-2016 के अनुपालन में बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल लाडनपुर, कोपागंज, मऊ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के क्षेत्राधिकार में हो जाने के कारण उक्त संस्था की सम्बद्धता की शर्तों एवं अवस्थापना सुविधाओं के परीक्षण हेतु वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्र संख्या पू०वि०वि०/सम्बद्धता(NOC)/2017/12208 दिनांक 24.03.2017 द्वारा निरीक्षण मण्डल गठित किया गया। निरीक्षण मण्डल ने दिनांक-16.04.2017 को महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रबन्धक द्वारा निरीक्षण आख्या दिनांक 18.05.2017 को विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया गया। बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम के सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्थायी समिति की आख्या एवं संस्तुति दिनांक-23.07.2017 को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें 2016-17 हेतु शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल लाडनपुर, कोपागंज, मऊ को स्नातक स्तर पर औषधि संकाय के अन्तर्गत बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्धारित 100 सीटों पर प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक-01 जुलाई, 2016 से एक वर्ष (सत्र 2016-17) हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली (सी०सी०आई०एम०) द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों/नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेगी।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शतसनादेशों का पालन करेगी। संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश, सुसंगत शासनादेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन सुनिश्चित करेगी।
3. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा सी०सी०आई०एम०/विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो प्रदत्त सम्बद्धता को नियमानुसार वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
4. संस्था महाविद्यालय की वेबसाइट को विश्वविद्यालय के वेबसाइट से हाईपरलिंक कर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं एवं अवस्थापना सुविधाओं आदि को अपलोड करेगी और समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों को वेबसाइट पर अपडेट करती रहेगी।
5. प्राभूत धनराशि, एन०बी०सी०, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित शर्तों की सत्यता को सी०सी०आई०एम० और विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन बनाये रखेगी।
6. प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के अधीन।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद(सी.सी.आई.एम.), जनकपुरी, नई दिल्ली।
2. अनुसचिव, आयुष भवन, बी०-ब्लाक जी०पी०ओ० कम्प्लेक्स, आई०एन०ए०, नई दिल्ली 110023
3. उपसचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
6. सहायक कुलसचिव/अधीक्षक, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर कक्ष/शैक्षणिक।
7. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ।
8. आगामी कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संज्ञानार्थ।

कुलसचिव